निर्धारण औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा।) राशि सहित प्राप्त आवेदनों को **"प्रथम आओ प्रथम पाओ"** प्रणाली के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची अंतर्गत वरीयता मानी जावेगी एवं औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत अधोसंरचना विकसित होने के पश्चात् तत्समय निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति जैसे प्रब्याजि एवं अन्य शुल्कों के भुगतान करने पर भूमि आवंटन किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में आवेदन के साथ जमा राशि आवंटन के समय देय राशि के विरूद्ध बिना ब्याज समायोजित की जायेगी।

(ब) ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का आवंटन प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदक के भू-खण्ड/शेड की आवश्यकता एवं मात्रा का आंकलन करेगा। विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' सिद्धांत अंतर्गत आवेदन-क्रम से किया जावेगा।

(स) भू-खण्ड, भवन हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत आवेदक को पात्रता होने पर आवश्यकता, मांग एवं उपलब्धता को दृष्टिगत अनिवार्यतः पन्द्रह दिवस में निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी कर दिया जायेगा । आशय पत्र के साथ आवेदक की सहमति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र का निर्धारित प्रारूप भी संलग्न किया जायेगा।

(द) अद्यतन आवेदन पत्र सूची विभागीय/निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। यह सूची स्थाई रहेगी । सूची के आवेदको को आवंटन किये जाने पर, उनके द्वारा आवंटन वापस किये जाने पर या नवीन आवंटन की प्राप्ति पर सूची को अद्यतन करना होगा। आवेदकों को आवेदन पत्र में ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर उल्लेखित करना होगा ताकि आवंटन के संबंध में तत्काल सूचना दी जा सकेगी ।

(इ) प्राप्त आवेदनों में आशय पत्र जारी करने के दिनांक को लागू प्रब्याजि, भू-भाटक, विकास शुल्क एवं संधारण शुल्क की दरों के आधार पर देय राशियों की गणना की जावेगी तथापि आवेदन पत्र के साथ जमा प्रब्याजि की 25 प्रतिशत अग्रिम राशि समायोजन योग्य होगी। औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किए जाने वाले क्षेत्र में से कुछ भूमि बिना आंतरिक अधोसंरचना विकास के आवंटित किए जाने पर प्रबंध संचालक द्वारा बाह्य अधोसंरचना विकास शुल्क को शामिल करते हुए आवंटन किया जा सकेगा।

(फ) सक्षम प्राधिकारी किसी इकाई को ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में जहां अधोसंरचना विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया हो भूमि आवंटन कर सकेगा, बशर्ते कि इकाई द्वारा निर्धारित प्रब्याजी एवं विकास शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

आवंटित भूखंड का अधिपत्य औद्योगिक क्षेत्र के अधिसूचित होने के पश्चात ही दिया जावेगा।

(13) भू-खण्ड/भवन का आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्यः-

(i) आशय-पत्र : आशय-पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन में आवंटी द्वारा आशय-पत्र में उल्लेखित देय राशि प्रबंध संचालक / महाप्रबंधक के कार्यालय में सहमति पत्र सहित जमा की जायेगी। इस अवधि के उपरांत कारण उल्लेखित करते हुए आवंटी को आशय-पत्र निरस्त करने हेतु 30 दिवसीय कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जावेगा। सूचना-पत्र में वर्णित अवधि में विलंबित अवधि के 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित राशि जमा न करने पर आशय पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसकी विधिवत सूचना पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आवेदक को, उसके आवेदन पत्र में दर्शाए पते पर भेज दी जायेगी। इस प्रावधान के तहत आशय पत्र की वैधता जारी करने की दिनांक से अधिकतम 60 दिन होगी। आशय-पत्र की वैधता समाप्त होने पर इकाई को जमा की गई प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत वापिस की जावेगी।

(ii) आवंटन आदेश जारी करना : आशय-पत्र की शर्तों की पूर्ति, जिसमें वांछित राशि यथा प्रीमियम, संधारण शुल्क जमा हो जाने के उपरांत आवंटनकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश, विशिष्ट भू-खण्ड/भवन का क्रमांक, सेक्टर तथा चर्तुसीमा अंकित कर 7 दिवस में जारी कर पंजीकृत पावती सहित डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाईन आवेदक को वितरित किया जायेगा। प्रत्येक आवंटन आदेश की प्रविष्टि आवंटनकर्ता प्राधिकारी कार्यालय में लंबी अवधि तक नष्ट न होने वाले कागज (जैसे-हरा लेजर पेपर) से बनायी गयी पंजी में की जावेगी।

(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन : आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति करने हेतु 30 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप **"परिशिष्ट - सी एवं डी"** में लीजडीड निष्पादित कर पंजीकृत करानी होगी । समयावधि में लीजडीड निष्पादित करने के अनिच्छुक आवंटी को तीस दिवसीय कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) आधिपत्य/हस्तांतरण : लीजडीड पंजीयन के सात दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टादाता के द्वारा पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण आवश्यक होगा। अधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जावेगी। पट्टाग्रहिता द्वारा निर्धारित अवधि में आधिपत्य न प्राप्त करने पर यह माना जावेगा कि उसके द्वारा लीजडीड निष्पादन दिनांक से आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया (डीम्ड पजेशन) है।